पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 18 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुमोदित

प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति प्रदन करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं योजना के विस्तारीकरण हेतु यथा संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त मा0 मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये गये। योजनान्तर्गत प्रदेश में पूँजीगत प्रकृति के अवस्थापना सुविधाओं का विकास परिकल्पित है। योजना के अंतर्गत केवल पूँजीगत निर्माण हेतु ही धनराशि उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार योजना से उपलब्ध धनराशि से केवल परिसम्पत्तियों का सृजन होगा।

योजनान्तर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्य आच्छादित हैः–

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय पॉलीटेक्निक/राजकीय आई0टी0आई0 के भवनों का निर्माण/विस्तार
2. स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित भवनों का निर्माण/विस्तार
3. जलापूर्ति/मल जल/जल निकासी कार्यक्रम से संबंधित नये कार्य।
4. लघु सिंचाई कार्यक्रम
5. वनीकरण कार्यक्रम
6. विद्युतीकरण/विद्युत वितरण केन्द्र/विस्तार तथा भूमिगत विद्युत व्यवस्था।
7. शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था/सड़कों का सुधार/सड़कों का पुनर्निमाण/सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (अनुरक्षण/मरम्मत के कार्य को छोड़कर)
8. सेतु का निर्माण
9. ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क का निर्माण/सड़कों का पुनर्निमाण/ सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (अनुरक्षण/मरम्मत के कार्य को छोड़कर)
10. न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर/जन सुविधाओं का विकास
11. अन्य पूँजीगत कार्य, जिन्हें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकार/चयनित किये जायेंगे।

योजना में क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने वाले कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। विकास कार्यों हेतु तैयार होने वाले आगणनों में मानकों के अनुसार सामान्य स्पेसीफिकेशन्स रखें जाने का प्राविधान है। उच्च स्पेसीफिकेशन्स की स्थिति में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा मा0 मंत्रि–परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही वित्त पोषित कार्यों में प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता–नियंत्रण का कार्य अपने विभागीय कार्यों की तरह ही किया जायेगा।

योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन करने हेतु जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त/मा0 जन–प्रतिनिधि/सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/ग्रामीण एवं शहरी निकायों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकते हैं। कार्यों के सम्पादन में जनसहयोग तथा जनमानस की भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यों के चयन में स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभावोन्मुख विकास कार्यों को वरीयता प्रदान की जायेगी। विकास कार्यो को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार विकास कार्य सम्पन्न हो सके।

योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कार्य विशेष के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का सर्वप्रथम दोहन किया जायेगा। यदि कार्य विशेष के लिये अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधन श्रम अथवा अन्य किसी रूप में अथवा लाभार्थी अंश के रूप में प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा। योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन विभाग द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर विभागीय बजट तथा अन्य स्रोतों से धनराशि उपलब्ध होने की पुष्टि करते हुए प्रस्ताव नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे।

कार्यों की विभागीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था, मण्डलायुक्त तथा जनपद के जिलाधिकारी से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी। कार्यों की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी से निरीक्षण भी कराया जायेगा।

विशेष परिस्थितियों में मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन/शिथिलीकरण तथा नये मदों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1750 रु0 प्रति कुन्तल तथा ग्रेड–ए धान का समर्थन मूल्य 1770 रु0 प्रति कुन्तल निर्धारित

धान की उतराई, छनाई, सफाई इत्यादि के खर्च के मद में कृषकों को अधिकतम 20 रु0 प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जाएगा

यह भुगतान समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा

कामन धान का समर्थन मूल्य रू0 1750.00 प्रति कुन्तल तथा ग्रेड–ए धान का समर्थन मूल्य रू0 1770.00 प्रति कुन्तल निर्धारित है। धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 50.00 लाख मी0टन रखा गया है। धान क्रय अवधि लखनऊ सम्भाग के जनपद सीतापुर, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, व हरदोई, चित्रकूट, कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद मण्डलों में 01 नवम्बर, 2018 से 28 फरवरी, 2019 तक होगी।

धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों पर आनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गयी। धान की उतराई, छनाई, सफाई इत्यादि के खर्च के मद में कृषकों को अधिकतम रू0 20 प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। किसानों से धान खरीद जोतबही/खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटायुक्त पहचान प्रमाण–पत्र यथासम्भव आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी।

धान क्रय केन्द्र हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा ई–टेण्डर के आधार पर की जायेगी। सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान ऑनलाइन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धान क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी।

यदि चावल मिलर को दिये गये धान के सापेक्ष 30 दिनों के अन्दर मिलर द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल सम्प्रदान कर देता है तो उसे प्रोत्साहन राशि की दर अरवा चावल तथा सेला चावल के लिये रू0 20/– प्रति कुन्तल मिलिंग किये गये धान पर देय होगा। प्रोत्साहन धनराशि की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं चावल मिलों को देय होगी, जिनका सम्बद्धीकरण जिलाधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा जनपद की, मण्डल की व मण्डल के बाहर की चावल मिल होने की स्थिति में किया जायेगा। 45 दिन में चावल का सम्प्रदान न होने पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल प्रतिदिन की दर से होल्डिंग प्रभार देय होगा।

प्रयाग कुम्भ मेला–2019 के दृष्टिगत स्वच्छता की कार्य योजना स्वीकृत

- उ0प्र0 सरकार के निर्देशन में प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक आयोजित होने वाले ''कुम्भ मेला–2019'' हेतु **''दिव्य कुम्भ एवं भव्य कुम्भ''** के दृष्टिगत स्वच्छता से सम्बन्धित वृहद् कार्य योजना तैयार की गई है।
- बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आगमन की संभावना को देखते हुए सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को खुले में शौचमुक्त एवं कूड़े के प्रबन्धन के साथ तीर्थयात्रियों हेतु वृहद् व्यवस्था की आवश्यकता है।
- मेला क्षेत्र में कुल 1,22,500 शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है परन्तु नमामि गंगे योजना के तहत भारत सरकार के आकलन के अनुसार सेप्टिक टैंक युक्त शौचालयों की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में कुल 1,22,500 शौचालयों (एनएमसीजी द्वारा 47,500 एवं राज्य सरकार द्वारा 75,000) का निर्माण किया जाना है।
- मेले की स्वच्छता हेतु कार्ययोजना की कुल लागत रू0 292.85करोड़ में से नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत एनएमसीजी द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 131.60करोड़ को घटाते हुये राज्य सरकार से रू0 161.25करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
- कार्य योजना के कियान्वयन एवं कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत शौचालयों के किराये पर लिये जाने हेतु निविदा समिति का गठन मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल की अध्यक्षता में किया गया है।
- स्वच्छता की कार्ययोजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा संशोधन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित हैलीपैड व अतिथि गृह को नागरिक उड्डयन विभाग से पुनः राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय

रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित हेलीपैड व अतिथि गृह जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया गया था और पूर्व में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रण एवं प्रबन्धन अधीन था, को मा0 मंत्रिपरिषद के आदेश प्राप्त कर नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तान्तरित किया गया था।

रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित हेलीपैड व अतिथि गृह को पुनः नागरिक उड्डयन विभाग से राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

———————————

PN-CM-Cabinet Decision-18 September, 2018